



श्री अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोक  
BAL

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकाारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान में एक भगाने में लगभग 15-20 किलोग्राम दही(निश्चित दूध से निर्मित) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री वहीदुल्लाह खान पुत्र श्री अनवरउल्लाह खान को नोटिस जारी किया गया है।

मानने पर खाद्य अर्जना प्रपत्र दिखाया। प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होने का स्वीकार किया गया तथा मौके पर खाद्य अर्जना विक्री प्रपत्र परिव्य लिया गया पृष्ठने पर श्री वहीदुल्लाह खान पुत्र श्री अनवरउल्लाह खान ने स्वयं को उपस्थित निला, श्री वहीदुल्लाह खान पुत्र श्री अनवरउल्लाह खान को अपना परिव्य दिया एवं जेरिकला निराहा एनएच-52 टोक जिला टोक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए श्री वहीदुल्लाह खान पुत्र श्री अनवरउल्लाह खान अपने प्रतिष्ठान बॉबी दा हाबा बाजा एनएच-52 टोक जिला टोक पर पड़्या। वही पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत दिनांक 01.05.2025 को समय 02:45 पी.एम. पर मैसर्स बॉबी दा हाबा बाजा जेरिकला निराहा संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकाारी

दिनांक 21/8/25

:-निर्णय:-

- उपस्थित-
- 1-प्रोकार सरकार।
- 2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री फहीम अख्तर उपा।

जुम् अनर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

निनकोड-304001

1-श्री वहीदुल्लाह खान पुत्र श्री अनवरउल्लाह खान निवासी नाला बतरा खटीक कालीपलटन नालन्दा स्कूल के पास टोक जिला टोक एफ.बी.ओ. मैसर्स बॉबी दा हाबा जेरिकला निराहा एनएच-52 टोक जिला टोक राज। मोबाइल नं० 9214980422।

2-मैसर्स बॉबी दा हाबा बाजा जेरिकला निराहा एनएच-52 टोक जिला टोक राज।

बनाम

प्रार्थी.....

नियमण टोक राज।

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकाारी, टोक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि



आर्थिक विभाग  
दूर  
707

क के लिए आवश्यक कायदाही हेतु प्रकरण स्यायालय में प्रस्तुत किया।  
2011 के अर्जुनार अवमानक(Sub-standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता  
गया दही(मिश्रित दूध से निर्मित) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम  
दिनांक 14.05.2025 के अर्जुनार विक्रेता से वास्तु मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कथ किया  
हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएम्/2129/एक्ट/2025/2106  
अधिकारी, टोक के पत्र क्रमांक एफएलएम्ए/2025/746 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा ज्ञात  
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य  
की।

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त  
भाग मय फाम सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर  
तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना  
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फाम नं. 6 की छः प्रतियाँ  
को अपने जाले में लिया तथा मौके पर फट्टे रिपोर्ट तैयार की।

रेपर दोनों पर आये तारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर तारों नमूना भागों  
भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि वेपर स्थिर व  
से विपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना  
डी.ओ. टोक की हस्ताक्षर श्रुदा वेपर स्थिर नं. आई-4380 नीचे से ऊपर तक गोलार्द्ध में गोद  
अलग-अलग 2 खाकी कगल में लपेटकर गोद से अच्छी तरह विपकाकर प्रत्येक भाग पर  
हस्ताक्षर करार प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह विपकाया। तारों नमूना भागों को  
कोड एवं क्रमांक आई-4380 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के  
लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोद से अच्छी तरह विपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के  
नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार  
हिला-मिलाकर प्रत्येक शीशी को गोद से अच्छी तरह विपकाया, डिब्बों टक्कन को  
परिशुद्ध प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फामिलिन की 16-16 बूँदें डालकर, अच्छी तरह  
बराबर-बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग 200 ग्राम) बतौर  
को हिलामिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में  
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदश्रुदा दही(मिश्रित दूध से निर्मित) 800 ग्राम

की।

वास्तु नमूना जांच कथ किया जा रहा है, जिसकी कामत विक्रेता का नगद दंकर रसीद प्राप्त

टीक-राज  
 आतिथित जिला मजिस्ट्रेट  
 स्याप नगरपालिका क्षेत्र  
 (सुदूरपश्चिम प्रदेश)  
 १०८



निर्णय आण दिनांक २१/१८/२०१५ को खले स्यापालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

पञ्चावली फौजदार हुंकार बाट तकमील दाखिल दफतर हो।  
 गये नमून को अपील की अवधि खतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे।  
 कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकायी, टांक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये  
 करवाकर रसीद पेश करे। एक माह के अन्दर शारित जमा नही करवाने पर शारित बसौली की  
 जारिये यालान से राजकोष में संबंछित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा  
 10,000/- (अक्षर दस हजार रूपये) आरपित की जाती है। अनियुक्त उक्त दण्ड की राशि  
 आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्राधान पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर केल शारित रूपये  
 धारा (II) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जमाने की श्रेणी में  
 खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप  
 निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य  
 किया व पञ्चावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही (मिश्रित दूध) से  
 हमने अभिमाषक अप्रार्थी एवं प्रेकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन

की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भाषी से भाषी जमाने से दण्डित किया जावे।  
 गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जमाने  
 से निर्मित) का विकय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया  
 पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश जालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दही (मिश्रित दूध)  
 प्रेकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रेकार सरकार ने बहस के दौरान प्राधान  
 पूरा नही करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शारित के साथ निस्तारण किया जावे।  
 उपयान के लिए किसी तरह हानिकारक नही है। उक्त खाद्य पदार्थ कवल कूठ मानका का